Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Appeal Case No.-178/2024-25]
Md. Daud & Ors.....Appellants.
Versus
The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	28.2.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-53/2023-24 में दिनांक-24.5.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी सं.- 03 की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बनमनखी	बिशनपुर बहादुर/ 28	112	161	11½ डी.

दिनांक 05.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी सं.- 03 का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। विपक्षी की ओर से Written Note of Argument दाखिल है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन का क्रय उनके द्वारा खतियानी रैयत/वंशज से निबंधित केवाला के माध्यम से किया गया है। तथा यह कि विपक्षी के द्वारा गलत केवाला के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर दावा किया जा रहा है। क्योंकि विपक्षी के विक्रेता के द्वारा पूर्व में ही उसके हिस्से की सारी जमीन विभिन्न केवाला के माध्यम से बिक्री कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा विपक्षी के केवाला को गलत बताते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। जबकि विपक्षी का दावा है कि उनके द्वारा निबंधित केवाला सं.-1692 दिनांक-26.2.2010 के माध्यम से प्रश्नगत जमीन का क्रय जमीन के वैध भू-धारी से किया गया है। जिसके उपरान्त प्रश्नगत जमीन पर उनका शांतिपूर्ण दखल-कब्जा रहा है। एवं सरकार को वर्ष 2022-23 तक का लगान दिया गया है। उनका यह कहना है कि अपीलार्थी के द्वारा उन्हें उनके खरीदगी जमीन से बेदखल कर दिया गया है। अतः विपक्षी के स्तर से निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन का खतियान राजेन्द्र प्रसाद साह एवं नागेश्वर साह के नाम से दर्ज है। कागजातों के आधार पर यह परिलक्षित हो रहा है कि विपक्षी के द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम से प्रश्नगत जमीन का क्रय किया गया। जिसके उपरान्त उनके नाम से जमाबंदी सं.-783 कायम हुआ। एवं वर्ष 2024-25 तक का लगान दिया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा उनके वाद पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी के विक्रेता द्वारा पूर्व में ही विभिन्न केवाला दस्तावेज के माध्यम से

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

28.2.2026

उनके हिस्से की पूरी जमीन का बिक्री कर दिया जा चुका है। परन्तु इससे संबंधित कोई भी साक्ष्य अपीलार्थी के द्वारा उपस्थापित नहीं किया गया। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा उनके वाद पत्र की कंडिका-5 में यह उल्लेख किया गया है कि खतियानी रैयत राजेन्द्र साह के द्वारा उनके हिस्से की 36 डी. में से 26 डी. जमीन का बिक्री फरीद मियां एवं शेष 10 डी. जमीन का बिक्री अपीलार्थी सं.-2 मो. जहूद को किया गया। परन्तु उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये केवाला से यह स्पष्ट हो रहा है कि उनके विक्रेता द्वारा उन्हें 10 डी. जमीन के स्थान पर 23 डी. जमीन का बिक्री कर दिया गया। जो उनके ही अभिकथन का परस्पर विरोधाभाषी स्थिति है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा उनके वास्तविक वैध जमीन से अधिक जमीन पर दावा किया जा रहा है। सुनवाई में अपीलार्थी के द्वारा विपक्षी के केवाला को वैध नहीं मानने के संदर्भ में कोई संगत साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

28/2/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।

28/2/2026
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय ★ पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया ★